



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

संख्या 62/(ई-ऑफिस)/34-सांविप्र/2025

दिनांक 17/10/2025

ई-ऑफिस

प्रति सम्बन्धित विभाग,

मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या आर.81 (ई-ऑफिस)/चौतीस-सांविप्र-2024 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ प्रस्तर-2 में निम्नवत निर्देश दिए गए थे कि:-

“(7) समस्त विभागों एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (निदेशालय/ मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में ई-ऑफिस सफलतापूर्वक लागू किए जाने हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का वित्तीय आंकलन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में अनिवार्य रूप से मांग प्रस्तुत की जाए।

(8) वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस में सम्बन्धित बजटीय मांग को वरीयता प्रदान करते हुए बजट आवण्टन किया जाए।”

2- मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा UPLC के माध्यम से नियमित रूप से ई-ऑफिस के संचालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि कई कार्यालयों में अभी भी कम्प्यूटर/इण्टरनेट कनेक्टिविटी आदि की व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी कई विभागों में ई-ऑफिस के सफल संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों का उपलब्ध न होना चिन्ताजनक है।

3- मां मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि ई-ऑफिस के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर/इण्टरनेट कनेक्टिविटी आदि की आवश्यकता का आंकलन विभागों द्वारा कर लिया जाए एवं तदनुसार बजट की मांग करते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 के “अनुपूरक बजट” में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए तथा प्रस्तावित बजटीय मांगों को वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए अनुपूरक बजट में प्राविधान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

सादर

(संजय प्रसाद)

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,

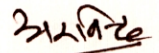
उ०प्र० शासन।

संख्या एवं दिनांक -तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन
4. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र० शासन
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन / यूपीडेस्को ।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उपाध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक उपक्रम, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,



(अरविन्द मोहन)

संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री